रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072026-274013
CG-DL-E-02072026-274013

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3461] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2026/आषाढ 11, 1948
No. 3461] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2026/ASHADHA 11, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2026

का.आ. 3596(अ).— जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 (46) में कतिपय निकायों या प्राधिकरणों या बोर्डों या ट्रस्टों या आयोगों की निर्दिष्ट आय को छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा उस धारा के प्रयोजनों के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जा सकता है;

और जहाँ कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536 (1) द्वारा निरस्त कर दिया गया है;

और जहाँ कि आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) और (ख) में, अन्य बातों के साथ, यह प्रावधान है कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन् पश्चात जिसे 1961 का अधिनियम कहा गया है) के निरसन के बावजूद और उसकी उपधारा (4) के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा,यथा;-

(i) 1961 के अधिनियम के प्रावधानों का पूर्व प्रचालन और उसके तहत विधिवत रूप से जारी किया गया कोई आदेश या किया गया कोई कार्य; या

(ii) 1961 के अधिनियम या उस अधिनियम के तहत जारी आदेशों के अंतर्गत प्राप्त, अर्जित या उत्पन्न कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देनदारी;

और जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का30) की धारा 536(2)(ग) में यह प्रावधान है कि 1961 के अधिनियम के प्रावधान आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के प्रारंभ होने की तिथि को लंबित किसी भी कार्यवाही और 1 अप्रैल, 2026 के बाद शुरू की गई किसी भी कार्यवाही (जिसमें नोटिस, निर्धारण, पुननिर्धारण, पुनर्सणना, त्रुटि-सुधार, जुर्माना, संदर्भ, पुनरीक्षण और अपील भी शामिल हैं) पर 1 अप्रैल, 2026 से पहले शुरू होने वाले किसी भी कर वर्ष के संबंध में लागू होते रहेंगे और ऐसी कार्यवाही 1961 के अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पूरी की जाएगी;

और जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ङ) में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को किसी आयकर प्राधिकरण या निरस्त आयकर अधिनियम के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष आवेदन, अपील, संदर्भ या पुनरीक्षण या किसी अन्य रूप में लंबित कोई भी कार्यवाही उसी प्रकार जारी रखी जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा जैसे कि मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया है;

अतः, अब आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) से (ग) और (ङ) के प्रावधानों के अनुपालन में, केंद्र सरकार, एतद्वारा, अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के प्रयोजनों के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण, 'मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण' (पैन: AAAAM4651Q) को निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:-

(क) उत्तराखंड सरकार से प्राप्त अनुदान/ऋण/अग्रिम।

(ख) उत्तराखंड शहरी एवं ग्राम नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अनुसार लगाये गये शुल्क/प्रभार/आय (चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए)

(ग) भूमि, भवनों और अन्य चल और अचल संपत्तियों की बिक्री से होने वाली आय।

(घ) पट्टे/किराए से प्राप्त होने वाली आय; तथा

(ङ) बैंक जमा पर ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण -

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) इसकी गतिविधियाँ और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेगी; तथा

(ग) 1961 के अधिनियम की धारा 139 (4 ग) (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. इन शर्तों का पालन करने में विफलता की स्थिति में 1961 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, और 1961 के अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ले ली जाएगी।

4. इस अधिसूचना को वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-2023 के प्रासंगिक निर्धारण वर्ष 2022-2023 और 2023-24 क्रमशः के लिए लागू माना जाएगा।

[अधिसूचना सं. 73 /2026 फा. सं. 300196/32/2021-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव, आईटीए-I

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव से (बोर्ड या आयकर विभाग के समक्ष आवेदन दाखिल करने के वर्ष से प्रभावी) लागू करने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।